भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 462
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्व-सहायता समूह

462. श्री के. षणमुग सुंदरमः
श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु और झारखंड में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गांव और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु और झारखंड में कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) झारखंड में उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक स्वीकृत, आबंटित, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;
(घ) झारखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) झारखंड में उक्त योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): तमिलनाडु में जिलावार स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया और झारखंड का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। इसके अलावा , जिलावार और ग्राम-वार डेटा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) निगरानी सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर देखा जा सकता है , जिसका वेबसाइट लिंक निम्न है:
https://nrlm.gov.in/SHGandMemberProfileMonitoringAction.do?methodName=showViewNew

(ख): डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत तमिलनाडु और झारखंड राज्यों के लिए कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): तमिलनाडु और झारखंड में उक्त योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी 2024 तक दी गई, आवंटित, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के एसएचजी सदस्यों सहित लाभार्थियों की संख्या , जो झारखंड राज्य में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लाभान्वित हुए हैं , का जिला-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत झारखंड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्राप्त करता है जिसमें ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में जुटाने के लिए वास्तविक लक्ष्य शामिल हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में मंत्रालय में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों से कम से कम एक महिला सदस्य को कवर करना और उन्हें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के दायरे में लाना है। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस के अनुसार कम से कम एक वचन वाले और गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी) की प्रक्रिया के माध्यम से पहचान किए गए और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा जांच किए गए सभी परिवार , डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कवरेज के लिए संभावित लक्ष्य हैं। एसईसीसी डाटाबेस के अंतर्गत और पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से पहचान की गई सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं को कवर किए जाने तक यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

*****

अनुबंध-I

"स्वयं सहायता समूहों" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी 2024 तक डीएवाई-एनआरएलएम के तहत तमिलनाडु में संगठित परिवारों और एसएचजी की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	संगठित किए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या	शामिल किए गए परिवारों की संख्या
1	अरियालुर	6032	74146
2	चेंगलपट्टू	10331	134572
3	कोयम्बटूर	6663	68561
4	कुड्डालोर	17059	229946
5	धर्मपुरी	10850	89375
6	डिंडीगुल	9864	119543
7	इरोड़	8615	100633
8	कल्लाकुरिची	7488	93618
9	कांचीपुरम	7921	92918
10	कन्नियाकुमारी	5077	75426
11	करूर	4831	48350
12	कृष्णागिरी	7328	80439
13	मदुरै	9532	115272
14	मयिलादुथुराई	7402	86954
15	नागपट्टिनम	6475	79837
16	नमक्कल	8376	102255
17	पेरामबलूर	4547	51401
18	पुदुक्कोट्टई	11297	134727
19	रामनाथपुरम	7685	91219
20	रानिपेट	8167	90824
21	सलेम	13781	174381
22	शिवगंगई	10117	123005
23	तेनकासी	5347	63058
24	तंजावुर	15833	179009

25	नीलगिरी	3415	36793
26	थेनी	6037	69468
27	थिरप्पुर	6198	71430
28	थूथुक्कुडी	8957	104894
29	तिरुचिरापल्ली	13386	154695
30	तिरुनेलवेली	6979	71619
31	तिरुपत्तूर	6272	72858
32	तिरुवल्लूर	14773	170534
33	तिरुवन्नामलाई	18820	247834
34	तिरुवरूर	11266	129588
35	वेल्लोर	7600	85013
36	विल्लुपुरम	12555	174993
37	विरुधुनगर	9168	113693
	कुल	336044	4002881

अनुबंध–II

"स्वयं सहायता समूहों" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

झारखंड में कार्यान्वयन की स्थिति और प्रमुख उपलब्धियां

क्र.सं.	**संकेतक**	**31.01.2024 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि**
1	संगठित एसएचजी की संख्या	291417
2	सभी स्व-सहायता समूहों में जुटाए गए परिवारों की संख्या	3586912
3	एसएचजी को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)	1,152.32
4	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	1.24%
5	बैंक ऋण की संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)	9345.79
6	कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों (एईपी) कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए महिला किसानों की कुल संख्या	26,79,356
7	कृषि-पोषक उद्यान वाली महिला किसानों की संख्या	6,12,469
8	एसवीईपी के तहत समर्थित उद्यमों की संख्या	20,955

तमिलनाडु में कार्यान्वयन की स्थिति और प्रमुख उपलब्धियां

क्र.सं.	**संकेतक**	**31.01.2024 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि**
1	संगठित एसएचजी की संख्या	336044
2	सभी स्व-सहायता समूहों में जुटाए गए परिवारों की संख्या	4002881
3	एसएचजी को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की राशि (रुपये करोड़ में)	1,874.08
4	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत%	4.48%
5	बैंक ऋण की संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)	68187.29
6	कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों (एईपी) कार्यकलापों के अंतर्गत कवर किए गए महिला किसानों की कुल संख्या (रुपए करोड़ में)	18,97,643
7	कृषि-पोषक उद्यान वाली महिला किसान की कुल संख्या (रुपए करोड़ में)	8,89,373
8	एसवीईपी के तहत समर्थित उद्यमों की संख्या	4,409

अनुबंध-III

"स्वयं सहायता समूहों" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत झारखंड को जारी निधि (करोड़ में)

वित्त वर्ष	एनआरएलएम			एनआरईटीपी *		
वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी	उपयोग**	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी	उपयोग**
	1856.28	1851.85	3248.35	236.63	160.50	249.91

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत तमिलनाडु को जारी की गई निधि (करोड़ में)

वित्त वर्ष	एनआरएलएम			एनआरईटीपी *		
वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी	उपयोग**	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी	उपयोग**
	1871.65	1835.95	3354.80	79.75	51.10	90.43

टिप्पणी: बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीसरी किस्त देने का प्रावधान है।

*राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) फरवरी, 2019 में शुरू हुई.

** उपयोग में राज्य का अंश और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष शामिल है

अनुबंध–IV

"स्वयं सहायता समूहों" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिले का नाम	एसएचजी की संख्या	कुल सदस्य	अनुसूचित जाति (एससी) के सदस्य	अनुसूचित जनजाति के सदस्य
1	बोकारो	14708	181121	31474	28384
2	चतरा	11339	143488	51852	6789
3	देवघर	12026	142396	18703	17959
4	धनबाद	11179	142611	23593	19846
5	दुमका	15432	190517	13226	79882
6	पूर्वी सिंहबूम	16343	190673	12448	81807
7	गढ़वा	12993	146422	41645	27931
8	गिरिडीह	19584	240788	42402	20402
9	गोड्डा	12109	149910	19554	29397
10	गुमला	11296	147817	9515	97811
11	हजारीबाग	16820	215344	45906	13939
12	जामताड़ा	7400	90375	10006	30589
13	खूंटी	7155	92011	7414	58822
14	कोडरमा	6928	87885	14274	1229
15	लातेहार	9023	111724	27317	51108
16	लोहरदगा	5314	69023	4601	40802
17	पाकुड़	10818	134022	5277	58134
18	पलामु	18457	222255	83084	26213
19	रामगढ़	7771	96396	9253	22842
20	रांची	22155	266293	21548	117461
21	साहेबगंज	11297	138225	9369	40682
22	सरायकेला खरसावां	9706	120071	8399	46730
23	सिमडेगा	7067	87483	14729	51323
24	पश्चिम सिंहभूम	14497	180062	9961	109547
	कुल	**291417**	**3586912**	**535550**	**1079629**